I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** STATE VIGILANCE BUREAU **P.S. (थाना):** SVB PANCHKULA **Year (वर्ष):** 2021

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0001 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 19/01/2021 19:17 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	406
2	IPC 1860	420
3	IPC 1860	467
4	IPC 1860	468
5	IPC 1860	471

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** Intervening Days **Date from (दिनांक से):** 30/09/2016 **Date To (दिनांक तक):** 03/10/2016

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** 00:00 hrs **Time To (समय तक):** 00:00 hrs

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 19/01/2021 **Time (समय):** 18:42 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 006 **Date and Time (दिनांक और समय):** 19/01/2021 18:42 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** EAST, 110 Km(s) **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): YAMUNA NAGAR,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** DSP OM PARKASH

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 15/08/1964 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	Present Address	PS SVB PKL, SVB PANCHKULA, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA
2	Permanent Address	PS SVB PKL, SVB PANCHKULA, STATE VIGILANCE BUREAU, HARYANA, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9996781050

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	RAJESH SHARAN		Father's Name: LT SH RAM SHARAN	1. 235,NEAR CHURCH VILL TEJLI,YAMUNA NAGAR CITY,YAMUNA NAGAR,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

नकल लेख इस प्रकार से है सेवा में, प्रबन्धक अफसर, थाना, राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकुला मण्डल, पंचकुला श्रीमान जी, निवेदन है कि अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, चौकसी विभाग के यादि क्रमांक 20/1/16-4, चौकसी-(I) दिनांक 11.04.2018 की अनुपालना में जांच क्रमांक 06 दिनांक 13.09.2018, यमुनानगर दर्ज रजिस्टर होने उपरान्त महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकुला के पृष्ठांकन 13267/आई0-6/रा0चौ0ब्यूरो, दिनांक 18.09.2018 अनुसार पड़ताल हेतु प्राप्त हुई थी। जिसकी जांच निरीक्षक सुरेश कुमार, राज्य चौकसी ब्यूरो, उप केन्द्र, यमुनानगर द्वारा की गई थी। जांच में यह आरोप था कि खेल विभाग में सरकारी नियुक्ति पर होते हुए अपनी फैडरेशन बनाकर एक लाख 20 हजार रुपये प्रति खिलाड़ी लेकर उनको खेल के नाम पर साउथ कोरिया भेजना। कुछ खिलाडियों के राष्ट्रीय स्तर पर ड्रैगन बोट फैडरेशन की प्रतियोगिता में भाग लेने के फर्जी सर्टिफिकेट अध्यक्ष ड्रैगन बोट फैडरेशन ऑफ इण्डिया के हस्ताक्षर करके तैयार करना, जिसमें पाया गया कि प्रवीन कुमार दिनांक 08.12.2010 को हरियाणा खेल विभाग में एथलैटिक्स प्रशिक्षक के पद पर नियुक्त हुआ था। प्रवीण कुमार का पुराना पासपोर्ट नं0 G9099925 है तथा उसका नया पासपोर्ट नं0 TOLL2L84 है व उसने विभागीय अनुमति लेकर विदेश यात्राऐं भी की है। वह 15 अगस्त 2015 से 25 अगस्त 2015 तक कनाडा व दिनांक 25 मार्च 2016 से 08 अप्रैल 2016 तक आस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाना पाया गया है। प्रवीन कुमार, ऐथलैटिक कोच ने अपने कथन के साथ रिकार्ड प्रस्तुत किया। जिसके अनुसार हरियाणा सरकार सिविल सेवायें नियम 2016 के नियम 10 के भाग-II में खेल विभाग के कर्मचारी को राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर एक-एक संस्था का सदस्य होने बारे छूट प्रदान की गई है, जिसमें उल्लेख किया गया कि No Government employee shell be a member/ office bearer of more then one such association at a state level and at national level, the aims or objectives of which relate to promotion of sports. However the employee of the sports department may become member/ office bearer of one association at a state level and at national level that too in the area of his own speciality/discipline." जांच से पाया गया कि ''ड्रैगन बोट फैडरेशन आफ इण्डिया'' रजिस्ट्रार फर्म एवं सोसायटीज जिला यमुनानगर के पंजीकरण क्रमांक 106 दिनांक 09.05.2013 अनुसार रजिस्टर्ड है। जिसमें प्रवीन कुमार दिनांक 09.05.2013 से ही ज्वांईट सैक्ट्री के पद पर तथा शिकायतकर्ता तपस कुमार पाठक दिनांक 09.05.2013 से तथा श्री राजेश सरण दिनांक 10.09.2016 से बतौर सदस्य नियुक्त है। EMABASSY OF THE REPUBLIC OF KOREA से प्राप्त किये गये रिकार्ड अनुसार ड्रैगन बोट फैडरेशन आफ इण्डिया के द्वारा 3Rd Minister of Oceans and Fishries Cup,ARA Waterway International Dragon Board festival, 2016 दिनांक 30 सितम्बर 2016 से 3 अक्तुबर 2016, के लिये 16 सदसीय टीम को वीजा जारी करने बारे अनुरोध किया जाना पाया गया है। जांच से पाया गया कि फैडरेशन के असल लैटर हैड पर श्री सुरजीत सिंह बाजवा ड्रैगन, बोट फैडरेशन के प्रधान का नाम व ई0मेल0 आई0डी0- singhdbfi@gmail.com है। प्रवीन कुमार महासचिव का नाम व ई0मेल0 आई0डी0- dragonboatfederationofindia@gmail.com तथा फैडरेशन का पताः 235 Near Church village tejli, Dak Khana Fatehpur, Distt Yamuna Nagar-135001 (Haryana) Email info@dbfi.org: Website : www.dbfi.org लिखा हुआ है, जबकि जिस लैटर हैड पर वीजा के लिये अनुरोध पत्र भेजा गया, उस पर सुरजीत बाजवा व प्रवीन कुमार का नाम अंकित नही है। अनुरोध पत्र के साथ साऊथ कोरिया जाने

वाली टीम की सूची लगी हुई है, जिसमें कुल 16 सदस्य है। इन दोनो दस्तावेजों पर Secretary General Dragon Boat Fedration की मोहर के साथ प्रवीन कुमार के अंग्रेजी में तिथि 25.08.16 सहित हस्ताक्षर है, जिसका मिलान शिकायतकर्ता श्री तपस पाठक द्वारा दी गई शिकायत के पृष्ठ 15 से किया गया। जिससे पाया गया कि ड्रैगन बोट फैडरेशन आफ इण्डिया द्वारा जिस दस्तावेज के आधार पर साऊथ कोरिया हाई कमीशन को वीजा जारी करने के लिये लिखा गया है, उसमें व शिकायत फाईल में लगे हुये दस्तावेज में भिन्नता पाई गई है। फैडरेशन का लैटर हैड, उस पर लिखा पता भी तथा ड्रैगन बोट फैडरेशन के प्रधान श्री सुरजीत सिंह बाजवा का ई0मेल0 आई0डी0- bajwadbfi@gmail.com भी अलग पाये गये है, जिसकी पुष्टि श्री राजेश कुमार सरण ने अपने कथन में की है। EMABASSY OF THE REPUBLIC OF KOREA से प्राप्त किये गये रिकार्ड अनुसार पाया गया कि ड्रैगन बोट फैडरेशन आफ इण्डिया द्वारा 16 सदसीय टीम की सूची दी गई है, उसमें जगतार सिंह सिधु टीम मैनेजर, श्री राजेश सरण टीम के कोच तथा 14 खिलाडियों, (10 पुरूष तथा 04 महिला खिलाडी) शामिल है। 16 सदसीय टीम में से दिनांक 30.09.2016 को कुल 14 सदस्य ही साऊथ कोरिया पंहुँचने पाये गये है व दिनांक 02.10.2016 को कुल 05 सदस्य, श्री राजेश सरण, कोच व चार महिला खिलाड़ी ही वापिस आने पाये गये है। इस सम्बन्ध में ई0मेल0 आई0डी0 ndia_visa@mofa.go.kr से dragonboatfederationofindia@gmail.com व singhdbfi@gmail.com पर दिनांक 08.03.2017 को ई0मेल0 के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि ड्रैगन बोट फैडरेशन आफ इण्डिया की टीम के 09 सदस्य अवैध रूप से साऊथ कोरिया में रूके हुये है। ये सभी सदस्य पंजाब राज्य से सम्बन्ध रखने वाले है। शिकायतकर्ता तपस कुमार पाठक द्वारा 11 व्यक्तियों, जिनके नाम हरभजन सिंह, केवल सिंह, गुरविन्द्र सिंह, राजविन्द्र सिंह, जगतार सिंह, हरमेल सिंह, जसविन्द्र सिंह, राजदीप सिंह भट्ठल, मन्दीप सिंह, करमजीत, जसविन्द्र सिंह सिध्धू है, के सम्बन्ध में आरोपी प्रवीन कुमार पर 1.20 लाख रूप्ये प्रति व्यक्ति लेकर विदेश भेजने का आरोप लगाया था, जिससे पाया गया कि हरभजन सिंह के साऊथ कोरिया जाने के लिये लगभग 5-6 लाख रूपये, केवल सिंह के लगभग 2-3 लाख रूपये, गुरविन्द्र सिंह के लिये 7 लाख रूपये, राजविन्द्र सिंह के लगभग 1 लाख रूपये, जगतार सिंह के लगभग 2 लाख रूपये तथा हरमेल सिंह के लगभग 2 लाख रूपये दिये गये। जसविन्द्र सिंह के साऊथ कोरिया जाने के लिये राशी बारे परिजनों को मालूम होना नही पाया गया। राजदीप सिंह भट्ठल के लिये लगभग 1.60 लाख रूपये दिये गये। मन्दीप सिंह के लगभग 6-7 लाख रूपये मांगे गये थे, परन्तु ज्यादा पैसे मांगने के कारण वीजा लगा होने के बावजूद उसे कोरिया नही भेजा गया। करमजीत के साऊथ कोरिया जाने के लिये लगभग 60 हजार रूपये दिये गये व जसविन्द्र सिंह सिध्धू के साऊथ कोरिया जाने के लिये राशी देने बारे परिजनों को मालूम होना नही पाया गया। श्री प्रवीन कुमार कोच के द्वारा 1,20,000/-रू0 प्रति खिलाड़ी लिये जाने बारे जांच के दौरान कोई तथ्य सामने नही आया तथा पाया गया कि परिजनों एव जानकारों के द्वारा किसी एजैन्ट को पैसे दिये गये लेकिन किसी के द्वारा एजैन्ट का कोई नाम पता नही बताया गया। दौराने जांच उपरोक्त खिलाडियों के ड्रैगन बोट फैडरेशन आफ इण्डिया की तरफ से बोटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के लिये कोरिया जाने बारे कोई तथ्य नही पाया गया। साऊथ कोरियन एम्बैसी के द्वारा उपलब्ध करवाये गये रिकार्ड अनुसार ड्रैगन बोट फैडरेशन आफ इण्डिया के खिलाडियों द्वारा वर्ष 2014-15 में ड्रैगन बोट फैडरेशन आफ इण्डिया की तरफ से जारी बोटिंग के अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रतियां पर भी Secretary General Dragon Boat Fedration की मोहर के साथ प्रवीन कुमार के अंग्रेजी में फर्जी हस्ताक्षर किये जाने पाये गये है। अतः खिलाडियों के अनुभव प्रमाण पत्र फर्जी पाये गये है। जांच से पाया गया कि राजेश सरण पुत्र स्व0 श्री रामशरण वासी मकान नं0 235, नजदीक चर्च, गांव तेजली, डाकखाना फतेहपुर तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर ड्रैगन बोट फैडरेशन ऑफ इण्डिया का एकमात्र सदस्य है, जो टीम के साथ बतौर कोच कोरिया गया था, जिसने दौराने जांच कोरियन एमबैसी से प्राप्त रिकार्ड में वीजा एप्लीकेशन पर, श्री प्रवीन कुमार एथलैटिक कोच, तेजली स्टेडियम, जिला यमुनानगर के हस्ताक्षरों को पहचाने से इन्कार किया है परन्तु शिकायत फाईल में लगी वीजा एप्लीकेशन पर हस्ताक्षरों को प्रवीन कुमार के हस्ताक्षर माना है। पड़ताल से पाया गया कि श्री राजेश सरण पुत्र स्व0 श्री रामशरण वासी मकान नं0 235, नजदीक चर्च, गांव तेजली, डाकखाना फतेहपुर तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर द्वारा ड्रैगन बोट फैडरेशन ऑफ इण्डिया के नाम पर जारी फर्जी दस्तावेजों के आधार पर तैयार की गई टीम को साऊथ कोरिया ले जाया गया था। जिसके द्वारा 09 सदस्यों को अवैध तरीके से साऊथ कोरिया में छोड़ा गया तथा उक्त 09 सदस्यों से धोखाधड़ी करके राशी प्राप्त की गई। अतः राजेश सरण के विरूद्ध अपराध जेर धारा 406, 420, 467, 468, 471 भा0द0सं0 एवं धारा 25 इमिग्रेशन एक्ट-1983 का होना पाया जाने पर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार के यादी क्रमांक 20/1/2018-4 चौ0-I दिनांक 06.01.2021 व महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा, पंचकुला के पृष्ठांकन क्रमांक 549/आई0-1/रा0चौ0ब्यू0(ह0) दिनांक 11.01.2021 अनुसार अभियोग दर्ज करने के आदेश प्राप्त हुये है। अतः राजेश सरण पुत्र स्व0 श्री रामशरण वासी मकान नं0 235, नजदीक चर्च, गांव तेजली, डाकखाना फतेहपुर तहसील जगाधरी, जिला यमुनानगर के विरुद्ध धारा 406, 420, 467, 468, 471 भा0द0सं0 एवं धारा 25 इमिग्रेशन एक्ट-1983 के तहत अभियोग दर्ज रजिस्टर करने हेतु लेख प्रस्तुत है। जिस पर अभियोग अंकित करके प्रथम सुचना रिपोर्ट की प्रतियां ईलाका मैजिस्ट्रेट व उच्च अधिकारीगण की सेवा में भिजवाई जाये। नकल मिसल मय असल लेख आगामी अनुसंधान के लिए उच्च अधिकारीगण के आदेश अनुसार श्री सुरेश कुमार, ह0पु0से0, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, सैक्टर-17, पंचकूला के हवाले की जाये। अज थाना:- मुख्यालय, रा0चौ0ब्यू0(ह0), पंचकुला Sd Om Parkash (औम प्रकाश, ह0पु0से0) उप पुलिस अधीक्षक, थाना, राज्य चौकसी ब्यूरों, सैक्टर-17, पंचकुला दिनांक 19.01.2021 समय 6.00 pm अज थाना – उपरोक्त तहरीर पर अभियोग न0 01 दिनांक 19.01.2021 धारा 406, 420, 467, 468, 471 भा0द0सं0 एवं धारा 25 इमिग्रेशन एक्ट-1983 थाना राज्य चौकसी ब्यूरो पंचकुला दर्ज रजिस्टर किया गया । प्र0सू0रि0 की प्रतियां ईलाका मैजीस्ट्रेट साहब यमुनानगर की सेवा में व उच्च अधिकारियों की सेवा में भिजवाई जा रही है । अभियोग की पुलिस फाईल व असल तहरीर आगामी अनुसंधान के लिए श्री सुरेश कुमार, उप पुलिस अधीक्षक, राज्य चौकसी ब्यूरो, पंचकूला के हवाले की गई । इन्द्राज रिकार्ड विधि अनुसार किया गया । सी.सी.टी.एन.एस. पर धारा 25 इमिग्रेशन एक्ट 1983 न होने की वजह से प्र0सू0रि0 की प्रति पर पैन द्वारा लिखी गई ।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.**
(की गयी कार्यवाही : चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं. 2 में उल्लेख धारा के तहत है.):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया): / or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Suresh Kumar **Rank (पद):** Dy. SP (Deputy Superintendant of Police)

No. (सं.): hps **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

I.I.F.-I (एकीकृत जाँच फार्म-I)

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C. (आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Manbir Singh

Rank (पद): SP (Superintendent of Police)

No. (सं.): IPS

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
1	Male	1971				**Is Proxitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s)(आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	**15**	**16**	**17**	**18**	**19**	**20**

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)